

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

पुनर्वित्त विभाग

प्रधान कार्यालय : बीकेसी, बान्द्रा (पू), मुम्बई - 400 051  
टेलि. : +91-22-2652 4926 • फैक्स : +91-22-2653 0090  
ई-मेल : dor@nabard.org • वेबसाईट : www.nabard.org



National Bank for Agriculture  
and Rural Development

Department of Refinance

Head Office : BKC, Bandra (E) Mumbai - 400 051  
Tel. : +91-22-2652 4926 • Fax : +91-22-2653 0090  
E-mail : dor@nabard.org • Website : www.nabard.org

संदर्भ सं.राबें.डीओआर.जीएसएस/957/ आरजी-4/ 2013-14  
14 जून 2013

Ref.No.NB.DoR.GSS/ 957 /RG-4/2013-14  
14 June 2013

परिपत्र सं. 131 /डीओआर - 40 /2013

Circular No. 131 /DoR-40/2013

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक/ सभी अनुसूचित

(प्राथमिक) शहरी सहकारी बैंक

सभी क्षेत्रीय बैंक/ एडीएफसीज़/ रास बैंक/ रासकृयावि बैंक

The Chairman/ Managing Director

All Scheduled Commercial Banks/

All Scheduled (Primary) Urban

Cooperative Banks

All RRBs/ADFCs/SCBs/SCARDBs

प्रिय महोदय

Dear Sir

ग्रामीण गोदामों के निर्माण /नवीकरण/ विस्तार के लिए  
पूंजी निवेश सब्सिडी की सेन्ट्रल सेक्टर योजना -  
प्री इन्जीनियर्ड भवन संरचना गोदामों की पात्रता

Central Sector scheme of Capital Investment  
subsidy for construction/renovation/  
expansion of Rural Godowns - Eligibility of  
Pre-engineered building structure godowns

हमें उपर्युक्त योजना के तहत प्री इन्जीनियर्ड भवन संरचना गोदामों की पात्रता के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों से संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं। इस संबंध में भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसे गोदाम भी सब्सिडी के लिए पात्र होंगे बशर्ते वे ग्रामीण गोदाम योजना के तहत परिचालन मार्गनिर्देशों के निर्धारित सभी मानदंडों/ शर्तों का पालन करते हैं।

We have been receiving various references from different quarters regarding the eligibility of pre-engineered building structure godowns for subsidy under the captioned scheme. In this regard Gol has clarified that such godowns would also be eligible for subsidy under Rural Godown Scheme provided all the laid down norms/ conditions under the Operational Guidelines of the scheme are fulfilled.

2. कृपया आप इस संबंध में अपने नियंत्रक कार्यालयों/ शाखाओं को सूचित करें।

2. You may advise your controlling offices/branches in the matter.

(ए डी रतनू )

मुख्य महाप्रबंधक

(A D Ratnoo)  
Chief General Manager